साझा संवाद आज की जरुरत.....

पोषण को लेकर ज्ञानसंवाद की आवश्यकता और जमीनी अनुभवों को साझा करने हेतु संवाद संपन्न

"हम सभी जानते हैं कि आज मध्यप्रदेश में कुपोषण एक वास्तविकता है | प्रदेश में 6 वर्ष तक की उम्र का हर दूसरा बच्चा कम वजन का है और गंभीर स्तर का कुपोषण अपनी विकरालता के साथ विद्यमान है | इस समस्या को लेकर राज्य सरकार कहती है कि उसने पूरी प्राथमिकता के साथ इस मुद्दे को देखा है | वहीँ विभाग भी कहता है कि हमने भी पूरी इमानदारी से बच्चों के कुपोषण को लेकर सार्थक पहल की है | दोनों ही दावों के बीच एक चीज तो तय है कि बच्चों में कुपोषण है | इसके साथ ही सवाल यह है कि जब दोनों ही जगह अपनी तरह से प्रयासों में कोई कमी नहीं है तो फिर समस्या कहाँ है !! समस्या किस स्तर पर है और किस प्रकार की है | यह जानना बेहद जरुरी है |

समन्वयन केवल सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए ना हो बल्कि इस अहसास के साथ हो कि कुपोषण से निदान केवल एक विभाग की नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है |

“”’पोषण’ ने इसके “लिए विकास संवाद के साथ मिलकर जिला स्तरीय साझा संवाद की पहल की | साझा संवाद से आशय यह है कि जिसमें सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हों | इसमें समस्या पर भी बात हो और समाधान का नजरिया भी हो | अब जबकि मध्यप्रदेश में अटल बाल एवं आरोग्य मिशन के अंर्तगत समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन के लिये तीन जिलों (शिवपुरी, खंड़वा और बालाघाट) में सामूहिक प्रयास किया जाना है। इसलिए इस तरह के साझा संवाद की पहल शिवपुरी से की गई | 5 अगस्त को शिवपुरी में आयोजित इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री उपासना राय के साथ-साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता सहित 35 लोग सम्मिलित हुए। स्थानीय स्तर पर काम कर रही संस्था परहित ने इस बैठक के समन्वयन की जिम्मेदारी ली |

बैठक की शुरुआत काम में आ रही समस्याओं पर बात करने से ही हुई| पर इस पर अनपेक्षित रूप से खामोशी ही रही, कोई भी बोलने को तैयार नहीं था | इसके पीछे दो कारण सामने आये, एक तो यही कि विभाग के पूरे तंत्र में ऐसा कोई मंच नहीं है, जहाँ पर समस्याओं पर इस बात के साथ चिंतन हो कि उनका हल आपस में ही/सामूहिक रूप से व सामंजस्य से कैसे खोजा जाये। जिसके चलते लोग झिझक रहे थे। दूसरा यह कि इन समस्याओं को किसी के समक्ष रखने पर विभाग के इन कर्मचारियों को यह विश्वास नहीं है कि यह जिस जगह पर जायेंगी, वहां से क्या आकार लेंगी। कईयों के ऐसे

विभाग में कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन (मोटिवेशन) के लिये कोई नीति नहीं है। कोई बेहतर काम करे अथवा न करें सभी के लिये एक ही मापदण्ड हैं।

अनुभव हैं जिन्होंने समस्यायें गिनाईं तो उनके समक्ष नये संकट (विभागीय) खड़े हो गये। धीरे-धीरे ही सही लोगों ने पर बोलना शुरू किया।

राज्य स्तरीय व्यवस्था निचले (जिला/ब्लाक/कार्यकर्ता) स्तर की व्यवस्था को केवल क्रियान्वयन ईकाई समझती है जबकि हमारे पास जमीन पर काम करने का 20 से 25 वर्षों का अनुभव है। आज तक हमसे कभी भी हमारी सीख/समझ, हमारे अनुभवों, पर बातचीत नहीं की गई। वे बड़े तल्ख अंदाज में कहती है कि नये-नये कंसल्टेंट बिठाल लिये जाते हैं, जो ऊपर से नीतियां/कार्यक्रम बनाते हैं और हमें उन्हें मानना ही पडता है चाहे वे अव्यावहारिक ही क्यों न हों।

इस चर्चा में इस सवाल के जवाब में कि आप अपनी समस्याओं को कहाँ बांटते हैं और कैसे इसका हल खोजते हैं ? आश्चर्यजनक रूप से सभी ने यही कहा कि यदि हमने कोई नई बात सीखी लेकिन उस पर स्पष्टता नहीं हो पाई है तो हम सबसे पहले अन्य साथी पर्यवेक्षकों से पूछते हैं। उसके बाद हम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों /यूनिसेफ के अधिकारी से पूछते हैं। यानी कोई निश्चित ढांचा नहीं है। मज़े की बात तो तब सामने आई कि जबकि यह कहा गया कि पहले देख लेते हैं कि ज्यादा लोग (बहुमत) क्या चीज कर रहे हैं। उसे ही सही मान लेते हैं। इस बहस में टेक होम राशन, उसके परिवहन आदि पर भी विस्तार से चर्चा हुई |

चर्चा के दौरान इस बात से एक बड़ा अंतर यह सामने आता है कि देश के स्तर पर पोषण/कुपोषण को लेकर जो बहस चल रही है वह भी जमीनी स्तर तक नहीं आ पाती है। उसके पीछे एक कारण तो यह ही है कि इनके पास उस जानकारी तक पहुंचने के लिये कोई साधन नहीं है। साथ ही यह विभाग (राज्य स्तर) को भी एक आवश्यकता नहीं लगती है| अभी तंत्र ऐसे काम कर रहा है कि राजधानी (प्रदेश) स्तर से जो कुछ तय हो जायेगा और फिर सभी को उसी का पालन करना है। उदाहरणार्थ सभी लोग 'एमयूएसी' टेप के उपयोग को सही मान रहे हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर चल रही बहस का इन्हें कुछ अता-पता नहीं है। विभाग के कई सारे आंतरिक मामलों पर भी बातचीत हुई जैसे कि विभाग का ऊपरी स्तर पर दो इकाइयों में बंटना, लकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को दोनों ही काम करना | पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों के परिवारों को चेक से राशि वितरित करना| प्रलेखन(डाक्यूमेंटेशन) का बढ़ना और उसके लिए स्टाफ की कमी, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के मापदंड आदि |

चर्चा के दौरान सामने आता है कि विभाग में कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन (मोटिवेशन) के लिये कोई नीति नहीं है। कोई बेहतर काम करे अथवा न करें सभी के लिये एक ही मापदण्ड हैं। पर्यवेक्षक कहती हैं कि हमसे यह तो कहा जाता है कि एक भी कुपोषित बच्चा दिखना नहीं चाहिये, वहीं दूसरी ओर उसके लिये, हमें हमारे कार्यकर्ता को मौखिक प्रशंसा के अलावा कुछ और नहीं दे सकते हैं। विभाग की राज्य स्तरीय व्यवस्था निचले (जिला/ब्लाक/कार्यकर्ता) स्तर की व्यवस्था को केवल क्रियान्वयन ईकाई समझती है, जबकि हमारे पास जमीन पर काम करने का 20-25 वर्षों का अनुभव है।

विभाग के पूरे तंत्र में ऐसा कोई मंच नहीं है, जहाँ पर समस्याओं पर इस बात के साथ चिंतन हो कि उनका हल आपस में ही/ सामूहिक रूप से व सामंजस्य से कैसे खोजा जाये।

आज तक हमसे कभी भी हमारी सीख/समझ, हमारे अनुभवों, पर बातचीत नहीं की गई। वे बड़े तल्ख अंदाज में कहती है कि नये-नये कंसल्टेंट बिठाल लिये जाते हैं, जो ऊपर से नीतियां/कार्यक्रम बनाते हैं और हमें उन्हें मानना ही पड़ता है चाहे वे अव्यावहारिक ही क्यों न हों।

इस विभाग को कोई भी विभाग प्राथमिकता में नहीं रखता है। कारण यह है कि यह तो महिलाओं और बच्चों का विभाग है। ये दोनों ही समाज के सबसे कमजोर तबके हैं।

जिला स्तरीय व्यवस्था भी यह मानती है कि उनके किसी समस्या में फंसने पर या रोजमर्रा के काम-काज के लिये परामर्श का अभाव है। जिलाधीश महोदय से परामर्श मिल जाये, वही है। विभाग की तरफ से यह कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसके अलावा वे एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं कि हर विभाग में विशेषज्ञ होते हैं। स्वास्थ्य विभाग को ही लें तो स्तनपान विशेषज्ञ, तपेदिक विशेषज्ञ आदि-आदि| लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था में कहीं कोई पोषण विशेषज्ञ तक नहीं ।

सम्बन्धित विभागों में आंतरिक समन्वय/सामांजस्य एक बड़ी समस्याहै। जैसे कि आदिवासी विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बागवानी मिशन, कृषि विभाग आदि | कुपोषण के खात्मे के लिए यह सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सभी को ना केवल एक दूसरे के कार्यक्रमों की जानकारी हो बल्कि नियोजन भी साथ हो | समन्वयन केवल सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए ना हो बल्कि इस अहसास के साथ हो कि कुपोषण से निदान केवल एक विभाग की नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है |

इन तमाम समस्याओं के अलावा एक अन्य समस्या यह भी है कि इस विभाग को कोई भी विभाग प्राथमिकता में नहीं रखता है। कारण यह है कि यह तो महिलाओं और बच्चों का विभाग है। ये दोनों ही समाज के सबसे कमजोर तबके हैं। वे कहती हैं कि होना इसका उल्टा चाहिए था कि इस विभाग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। जिला महिला बाल विकास अधिकारी सुश्री राय ने कहा कि और तो और हमारे अपने विभाग के दस्तावेजीकरण में समन्वयन के लिये काई पंजी नहीं है अर्थात हम भी इस कन्वर्जेस को कितना जोर देते हैं, यह समझ में आता है।

इस बैठक का अंत इस चर्चा के साथ हुआ कि इस तरह की बैठकें होनी चाहिये या नहीं ? अधिकांश जनों ने इस संवाद पुरजोर वकालत की, कि यह संवाद होना चाहिये लेकिन इसके साथ ही यह जरूरी है कि समीक्षा के दौर भी चलें। जिला महिला बाल विकास अधिकारी सुश्री उपासना राय ने कहा कि सबसे पहले तो हमें यह विश्वास करना होगा कि बदलाव संभव है और यह हमसे ही आयेगा। इसके लिये निरंतर संवाद की आवश्यकता पर उन्होंने जोर देते हुये कहा कि यदि हम इससे सहमत नहीं होंगे तो फिर हम समुदाय में लोगों को कैसे सहमत करायेंगे। अंत में सभी ने एक बेहतर संवाद की सार्थकता पर जोर दिया।

यह बैठक इस निर्णय के साथ खत्म हुई कि सबसे पहले संवाद को नियमित करने हेतु एक ई-ग्रुप बनाया जाये। इसमें हिन्दी में वार्तालाप हो। जानकारियों का आदान-प्रदान हो। जिन साथियों के पास ई-मेल नहीं होगा उन्हें जिला/ब्लाक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी इन बातों को शेयर करेंगे। संवाद से निकली सीखों को राज्य स्तर पर भी शेयर किया जायेगा।